उनवानी प्रकरणः— सुशीला बनाम रामस्वरूप वगै0

मु.न.ः— 10/2024 कि0मु0ः— प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
	08.07.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अंकित किया गया है। प्रार्थी उक्त प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा जो प्राथना पत्र पेश किया उसमें प्रार्थीयां के पास कोई टाइटल नहीं है।। बिना टाईटल किसी भी प्रकार से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थी द्वारा कोई वादकारण उत्पन्न होन का प्रशन ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र/वादपत्र छदम रूप से पेश किया गया तथा स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाकर बहस की गई। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा बताया गया है कि प्रार्थीयां द्वारा वादपत्र/प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो स्पष्ट नहीं है। प्रार्थीया द्वारा जो खसरा नम्बर 436/1 बताये गये है व ग्राम सुमनपुरा में अंकित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा रास्ता का पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। वकील प्रार्थी द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251ए के तहत पेश किया गया है। प्रार्थीया का अनुतोष भी प्रार्थना पत्र 251ए के तहत चाहा गया है। टाईपिंग की वजह से हरिपुरा के स्थान पर सुमनपुरा अंकित हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी अप्रार्थीगण अस्वीकार फरमाया जाकर जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में हरिपुरा अंकित है। जबकि प्रार्थना पत्र में सुमनपुरा अंकित है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण वादपत्र है या प्रार्थना पत्र 251ए का पेश किया गया है। स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 10/2024 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तक्मील वादपत्र के साथ संलग्न हों । उपखण्ड अधिकारी खण्डार (सवाई माधोपुर)	